BSES

बिजली चोरी मामले निपटाने के लिए स्पेशल लोक अदालत 13 को

- पूर्वी व मध्य दिल्ली के उपभोक्ताओं के लिए खास तौर पर आयोजित
- 5 लाख रूपये तक के मामले निपटाए जाएंगे
- दिल्ली की किसी भी अदालत में विचाराधीन मामले निपटाए जाएंगे
- कुल 8 अदालतें लगाई जाएंगी

नई दिल्लीः 8 मार्च, 2010। पूर्वी व मध्य दिल्ली में बिजली चोरी मामलों के तत्काल निपटारे के लिए एक स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सहयोग से, 13 मार्च को कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में इसका आयोजन किया जाएगा। यह अदालत सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी। दिल्ली के किसी भी कोर्ट में विचाराधीन बिजली चोरी के मामलों का यहां निपटारा किया जाएगा। स्पेशल लोक अदालत की एक खास बात यह होगी कि इसमें पांच लाख रूपये तक के बिजली चोरी के मामले निपटाए जाएंगे। मामला चाहे कटिया लगाकर बिजली चोरी करने का हो, या फिर मीटर से छेड़छाड़ कर चोरी करने का– तमाम तरह के मामलों का यहां निपटारा किया जाएगा।

इस लोक अदालत में बिजली चोरी के उन मामलों को सुलझाया जाएगा, जो कड़कड़डूमा व तीसहजारी स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट्स समेत, दिल्ली की किसी भी अदालत में लंबित पड़े हैं, और जिनका निपटारा अभी तक नहीं हुआ है। उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे या तो व्यक्तिगत रूप से लोक अदालत में उपस्थित हों, या फिर अपने वकील या अधिकृत प्रतिनिधि को भी वहां भेज सकते हैं। अपने पहचान पत्र और बिल की कॉपी भेजना आवश्यक है।

बीवाईपीएल के सीईओ श्री रमेश नारायणन के मुताबिक, पिछली दो लोक अदालतों में 93 प्रतिशत और 92 प्रतिशत मामलों का निपटारा कोर्ट परिसर में तत्काल कर दिया गया था। इस बार की स्पेशल लोक अदालत में भी अच्छा रेस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है। वहां कुल 8 अदालतें लगाई जाएंगी, ताकि जल्द से जल्द मामलों का निपटारा किया जा सके। लोगों की सहायता के लिए 6 हेल्प डेस्क भी लगाए जा रहे हैं, ताकि उपभोक्ताओं को, जहां तक हो सके, परेशानियों का सामना न करना पड़े। सीईओ ने कहा कि स्पेशल लोक अदालत से जहां उपभोक्ताओं का फायदा होगा, वहीं अदालतों पर से मुकदमों का बोझ भी कम होगा।

बीवाईपीएल सीईओ के मुताबिक, लोक अदालत से संबंधित पर्चे हिंदी और उर्दू में छपवाकर, उन्हें पूर्वी व मध्य दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बांटा जा रहा है। करीब 5 हजार उपभोक्ताओं को इस संबंध में पत्र / नोटिस भी भेज कर अनुरोध किया जा चुका है। इसके अलावा, एफएम चैनलों पर लगातार सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस स्पेशल लोक अदालत का फायदा उठा सकें।

मामलों को तेजी से निपटाने के लिए बीवाईपीएल और दिल्ली लीगल सर्विज अथॉरिटी ने खास इंतजाम किए हैं। यह पूरी तरह से एक पेपरलेस (कागजविहीन) लोक अदालत होगी और फाइलें इधर से उधर नहीं करनी पड़ेंगी। कंपनी ऐसे सॉफ्टवेयर मॉड्यूल की सहायता ले रही है, जो माउस के महज एक क्लिक पर उपभोक्ताओं का सारा डेटा कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध करा देगा।

बीवाईपीएल सीईओ ने पूर्वी और मध्य दिल्ली के उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। इससे उनके समय की बचत तो होगी ही, साथ ही कानूनी प्रकिया में पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इससे अदालतों पर बोझ कम करने में भी मदद मिलेगी।

तय रकम के भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को पर्याप्त समय दिया जाएगा। उपभोक्ता बीवाईपीएल एन्फोर्समेंट ऑफिस में भुगतान कर सकते हैं। भुगतान के बाद उन्हें नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीआरपीएल और बीवाईपीएल अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999870 / 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999415 / 9350130304